

पृष्ठांकन हेतु स्थान  
SPACE FOR ENDORSEMENT



टिप्पणी: यदि आपको कोई शिकायत/पेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है:

NOTE: In case you have any complaint/grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/Insurance Ombudsman whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता  
Address of Branch

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता  
Address of Grievance Redressal Officer

लोकपाल का पता  
Address of Ombudsman

टिप्पणी: इन निबंधनों तथा शर्तों विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी भाष्य विधिमान्य होगा।

NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें।

You are requested to examine this policy, and if any mistake be found therein, return it immediately for correction.

आई आर डी ए पंजीकरण संख्या: 512  
IRDA Regn. No.: 512



LIC's NEW JEEVAN ANAND (WITH PROFITS)

एलआईसी का न्यू जीवन आनंद (लाभ सहित)

(UIN: 512N279V01)



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त प्रस्तावक और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची में निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ का बिना व्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हें उक्त अनुसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभों के सम्बन्ध में निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची में निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दावा कर रहा हो/ रहे हों, की प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे में देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो।  
और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के आधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits as set out in schedule but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

पॉलिसी संख्या/Policy No.:	मूल बीमाकृत राशि ₹ Basic Sum Assured ₹	मूल योजना के लिये प्रीमियम किश्त (₹) / Instalment Premium for Basic Plan ₹	प्रीमियम देय तिथि: Due date of premium:
पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/Date of Commencement of policy:			प्रीमियम भुगतान की विधि: Mode of payment of premium:
जोरिम की तिथि/Date of Commencement of Risk:	दुर्घटना हितलाभ बीमा धन (₹) / Accident Benefit Sum Assured ₹	एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर किश्त प्रीमियम ₹ / LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider Instalment premium ₹	अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for:
योजना एवम अवधि: Plan and Policy Term:			i) मूल योजना: Basic Plan: ii) एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर: LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider:
पूर्णावधि की तिथि: Date of Maturity:		कुल प्रीमियम किश्त (₹) / Total Instalment premium ₹	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:
			बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured:
			क्या आयु स्वीकृत है? Whether age Admitted?
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित/Nominee under section 39 of the Insurance Act, 1938:			प्रस्ताव संख्या: Proposal No.:
अगर नामित अवयस्क हो, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम / If Nominee is a minor, the name of the Appointee:			प्रस्ताव की तिथि: Date of the Proposal:
			लाभ चित्रण संदर्भ क्र.: Benefit Illustration Reference No.:
प्रस्तावक का नाम और पता / Name & Address of the Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता / Name & Address of the Life Assured:		

ये घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं: इसके विवरण पीछे की ओर दिए गए हैं. / Events on the happening of which benefits are payable: Details are mentioned overleaf.

बीमा धन किसको मिलेगा / To whom Sum Assured payable	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशित या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामितियों या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण - पत्र प्राप्त होगा। The Proposer or Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.
प्रीमियम चुकाने की अवधि/Period during which premium payable	निर्धारित अंतिम किश्त भुगतान की तिथि तक या इसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर. Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
प्रीमियम भुगतान करने की तिथि/Dates when premium payable	में पूर्व निर्धारित अंतिम तारीख / On the stipulated due date in _____

विशेष प्रावधान: विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है / Special Provisions: Details are mentioned overleaf.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी पत्रचार किया जाना चाहिए।

Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed:

तिथि / Date:

जांच कर्ता / Examined by:

प्रपत्र क्र. / Form No.:

कृते प्रमुख / वरिष्ठ / शाखा प्रबन्धक  
p.Chief/Sr./ Branch Manager:

एजेंसी कोड / Agency Code	एजेंसी का नाम / Agency Name	एजेंट का मोबाइल / टेलिफोन नम्बर Mobile Number / Landline Number

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं/Events on the happening of which benefits are payable :	
घटनाएँ/ Events	देय लाभ/ Benefits Payable
<p>कथित पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी अद्यतन प्रीमियम के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हो।</p> <p>On death of the Life Assured before the end of stipulated Policy Term, provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.</p>	<p>मृत्यु लाभ, जिसे 'मृत्यु पर बीमाकृत राशि' और निहित प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अंतिम अतिरिक्त बोनसों के रूप में, यदि कोई हो, परिभाषित किया गया है, देय होगा. जहाँ 'मृत्यु पर बीमाकृत राशि' मूल बीमाकृत राशि के 125% या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 10 गुना में अधिक के रूप में परिभाषित है. यह मृत्यु लाभ मृत्यु की तिथि पर भुगतान की गई सभी प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा. जहाँ प्रीमियम, उपरोक्त प्रीमियमों में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं है.</p> <p>Death benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death" and vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional bonus, if any, shall be payable. Where, "Sum Assured on Death" is defined as higher of 125% of Basic Sum Assured or 10 times of annualised premium. This death benefit shall not be less than 105% of all the premiums paid as on date of death. The premiums mentioned above exclude tax, extra premium and rider premiums, if any.</p>
<p>कथित पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू हो.</p> <p>On death of the Life Assured after the end of the stipulated Policy Term, provided the policy is in full force.</p>	<p>मूल बीमाकृत राशि देय होगी.</p> <p>Basic Sum Assured shall be payable.</p>
<p>पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर (यानी परिपक्वता पर) जीवन बीमित व्यक्ति के विद्यमान रहने पर, बशर्ते पॉलिसी अद्यतन प्रीमियम के भुगतान द्वारा पूर्ण रूप से चालू हो.</p> <p>On Life Assured surviving at the end of the Policy Term (i.e. on maturity), provided the policy is in full force by paying upto-date premiums.</p>	<p>निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ मूल बीमाकृत राशि देय होगी.</p> <p>Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and Final Additional bonus, if any, shall be payable.</p>
<p><b>विशेष प्रावधान:</b>  <b>एलआईसी की दुर्घटनावश मृत्यु एवं अंगंता हितलाभ सुरक्षा (UIN: 512B209V01):</b> यदि एलआईसी की दुर्घटनावश मृत्यु एवं अंगंता हितलाभ सुरक्षा का विकल्प चुना गया है और वह चालू है: 'शर्तें एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि के लिए लागू होगी. यदि एलआईसी की दुर्घटनावश मृत्यु एवं अंगंता हितलाभ सुरक्षा का विकल्प नहीं लिया गया है: 'शर्तें एवं सुविधाएँ' की शर्त सं. 11 लागू नहीं होगी.</p>	<p><b>Special Provisions:</b>  <b>LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (UIN: 512B209V01):</b> If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is opted for and the same is in force: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall apply for an amount equal to the Accident Benefit Sum Assured. If LIC's Accidental Death and Disability Benefit rider is not opted for: Condition No.11 of "Conditions and Privileges" shall not apply.</p>

### इस पॉलिसी मे दी गई शर्तें व सुविधायें

**1. आयु प्रमाण :** प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरान्त यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिये निगम द्वारा उस समय प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति इसमें जल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किश्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा.

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या सहर्तों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और ऐसे निरस्तीकरण की तिथि पर जो भी अभ्यर्पण मूल्य होगा, उसका भुगतान किया जाएगा.

**2. प्रीमियम का भुगतान:** वार्षिक, अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिये रियायत अवधि एक माह किंतु कम से कम 30 दिन मासिक प्रीमियमों के लिये 15 दिन की रियायत अवधि दी जायेगी. यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जायेगी.

इस अवधि के दौरान और उस वक़्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी वैध रहेगी और बीमाधन का भुगतान उक्त प्रीमियम तथा अगली वर्षगांठ के पूर्व देय होने वाले अवदत प्रीमियम की कटौती के उपरान्त किया जायेगा.

यदि पॉलिसी कालातीत नहीं होती है और पॉलिसी के तहत मृत्यु की दशा में दावा किया गया होगा जहाँ प्रीमियम भुगतान का तरीका वार्षिक के अलावा होगा, भुगतान न किए गए प्रीमियम, अगर कुछ हो तो, अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पहले आनेवाली, को दावे की रकम से काट लिया जाएगा.

देय प्रीमियम 'कुल किश्त प्रीमियम' होगा जिसमें निम्न शामिल होगा :

- मूल योजना के लिये किश्त प्रीमियम
- अगर एलआईसी की दुर्घटनावश मृत्यु एवं अंगंता लाभ सुरक्षा विकल्प चुना गया है, तो एलआईसी की दुर्घटना एवं अंगंता लाभ सुरक्षा के लिए किश्त प्रीमियम.

**3. बन्द पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन:** यदि पॉलिसी रियायत अवधि के भीतर बकाया प्रीमियम

### CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

**1. Proof of Age:** The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be prevailing at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled and the surrender value will be paid as on the date of such cancellation.

**2. Payment of Premiums:** A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the unpaid premium/s falling due before the next anniversary of the policy.

If the policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid premium, if any, falling due before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

The premium payable will be "total instalment premium" which includes

- Instalment premium for Basic Plan and
- Instalment premium for LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider, if LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider option has been exercised.

**3. Revival of Discontinued Policies:** If the Policy has lapsed due to

के लिए बकाया हो जाए, बशर्ते पॉलिसी कुछ न्यूनतम अवधि के लिए प्रभावशील रहे.

अंतिम (अतिरिक्त) बोनस कम की गई चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत देय नहीं होगा.

**13. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएँ:** पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत

करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, दुर्घटना/अंगंता का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार,

नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा.

अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

जहाँ पॉलिसी पूर्णावधि दावे में परिवर्तित होती है या पॉलिसी के अभ्यर्पण की दशा में, बीमित व्यक्ति द्वारा आयु प्रमाण—पत्र, अगर आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, के साथ विमुक्ति पत्र और मूल पॉलिसी प्रलेख, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से एनईएफटी आदेश पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.

जहाँ पॉलिसी किसी दुर्घटनावश अंगंता/मृत्यु दावे में परिवर्तित हो, निम्नांकित सूची से लागू वक्तव्य उन परिस्थितियों की जाँच के लिए बुलाए जा सकते हैं, जिनमें मृत्यु/अंगंता हुई है :

- प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) की एक प्रमाणित प्रति.
- पुलिस अनुसंधान प्रतिवेदन की एक प्रमाणित प्रति.
- पंचनामे की प्रति.
- मृत्यु के संभावित कारण को जानने के लिए पोस्ट मार्टम रिपोर्ट. अगर पोस्ट मार्टम में आँतों को संरक्षित किया गया हो, तो उसकी विषय-वस्तुओं को जानने के लिए रासायनिक विश्लेषक प्रतिवेदन, कि बीमित व्यक्ति ने शराब, नशीली दवाओं, नारकोटिक्स या जहर का सेवन तो नहीं किया था.
- समाचार पत्र की कतरन जहाँ दुर्घटना प्रतिवेदित हुई हो.
- अगर मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण हुई है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, यदि वाहन बीमित व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था.
- मृत्यु के बारे में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय – इससे मृत्यु का वर्गीकरण 'स्वामाविक/आत्महत्या/दुर्घटनावश' के रूप में होगा.
- अगर दुर्घटना को पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिवेदित नहीं किया गया है, जैसे कुत्ता या साँप काटने से मृत्यु, तो वैकल्पिक साक्ष्य, जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का वक्तव्य, ग्रामसेवक या शासकीय अधिकारियों का शपथ-पत्र, हमारा अपना पूछताछ प्रतिवेदन, इलाज करने वाले चिकित्सक या अस्पताल के प्रतिवेदन आदि पर्याप्त हो सकते हैं.
- अस्पताल उपचार अभिलेख, आदि.

**14. वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों सहित निगम और शर्तें संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.

**15. कूलिंग ऑफ अवधि:** यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के 'निगम और शर्तों' से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपत्तियों का कारण बताते हुये निगम को पॉलिसी लौटा सकता है. इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी निरस्त करके, जमा की गई प्रीमियम की राशि से रिस्क प्रीमियम (मुल योजना और दुर्घटना हितलाभ राइडर प्रीमियम अगर कोई हो,) एवं चिकित्सकीय परीक्षण, विशेष प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, एवं स्टैम्प शुल्क के लिए शुल्कों की कटौती के बाद वापिस कर देगा.

**16. लाभ चित्रण:** मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपका अनुकूलित लाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संलग्न है.

### बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रभावी होने की तिथि के दो वर्ष बाद किसी बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती कि बीमा हेतु दिए गए प्रस्ताव पत्र में अथवा चिकित्सा अधिकारी या निर्णायक अथवा बीमित व्यक्ति के मित्र की किसी रिपोर्ट में अथवा अन्य किसी दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी होती है, किया गया कथन गलत अथवा असत्य था जब तक कि बीमाकर्ता यह सिद्ध न करें कि ऐसा कथन उन तात्त्विक विषयों अथवा छिपाए गए तथ्यों के बारे में था जिन्हें प्रकट करना आवश्यक था तथा बीमित व्यक्ति द्वारा ऐसा धोकाधड़ी करने के उद्देश्य से किया गया था तथा ऐसा करते समय पॉलिसीधारक को यह ज्ञात था कि कथन अथवा उसने ऐसे तात्त्विक तथ्य छिपाए हैं जिन्हें प्रकट करना आवश्यक था.

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान बीमाकर्ता को, किसी भी समय आयु प्रमाण मांगने से वंचित नहीं करते, यदि वह ऐसा करने का पात्र हो तथा किसी भी पॉलिसी पर सिर्फ इस आधार पर कि पॉलिसी की शर्तों को बीमित व्यक्ति द्वारा आयु से संबंधित गलत उल्लेख के आधार पर समायोजित किया गया है, प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता.

certain minimum term.

Final (Additional) Bonus shall not be payable under reduced paid-up policies.

**13. Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, proof of accident/disability, medical treatment prior to the death; employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of a policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

Where policy results into a accidental disability/death claim the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death / disability took place:-

- A certified copy of first information report (FIR).
- A certified copy of police inquest report.
- Copy of panchanama.
- Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
- News paper cuttings where accident is reported.
- If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
- Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
- When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.
- Hospital treatment records, etc.

**14. Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

**15. Cooling-off Period:** If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, he/she may return the policy to the Corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for basic plan and Accident and Disability Benefit rider, if any) for the period on cover and charges for medical examination, special reports, if any and stamp duty.

**16. Benefit illustration:** Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

### Section 45 of Insurance Act, 1938:

No policy of life insurance shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policyholder and that the policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose.

Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal.



अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रदत्त प्रीमियमों के 80% को छोड़कर, जिसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, शामिल नहीं है, बशर्ते कि पॉलिसी चालू अवस्था में हो।

- ii) यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) पुनरुज्जीवन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त प्रीमियमों के 80% (कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई है, को छोड़कर) या अभ्यर्पण मूल्य, जो भी राशि अधिक हो, देय होगी, बशर्ते पॉलिसी चालू अवस्था में हो। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 8. अभ्यर्पण मूल्य:** कम से कम तीन पूर्ण वर्षों तक प्रीमियमों को भुगतान किए जाने के बाद किसी भी समय इस पॉलिसी को नकदी के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है।

पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य प्रदत्त कुल प्रीमियमों का प्रतिशत होगा (कर की निवृत्त) जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडरों के लिए प्रीमियम, यदि इसे चुना गया हो, शामिल नहीं हैं। यह प्रतिशत पॉलिसी अवधि एवं उस पॉलिसी वर्ष पर आधारित होगा, जिसमें पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया है और इस प्रलेख के लिए परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों, यदि कोई है, का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो निहित बोनसों के लिए लागू अभ्यर्पण मूल्य घटक में निहित बोनसों के गुणा के बराबर है। ये घटक पॉलिसी अवधि एवं उस पॉलिसी वर्ष पर आधारित होगा, जिसमें पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया है और इस प्रलेख के लिए परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

यद्यपि इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो। विशेष अभ्यर्पण मूल्य चुकता बीमाकृत राशि (शर्त 4 में बताए अनुसार) एवं निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनस का रियायती मूल्य होगा। इस पॉलिसी के लिए लागू ये रियायत घटक आईआरडीए के पूर्व अनुमोदन के साथ समय-समय पर बदल सकते हैं।

राइडरों पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, यदि कोई है।

- 9. ऋण:** पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, जो निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन होगा, जो निगम समय-समय पर तय कर सकता है, तथा जो ऐसी राशि के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर होगा।

- i) लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णतः निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी।

- ii) निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा। ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ या छः माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋण देने के तत्काल बाद आए, पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही आधार पर किया जाएगा। ब्याज कम से कम छः माह के लिए लिया जाएगा;

- iii) निगम तीन माह की पूर्व सूचना देकर समस्त ब्याज सहित ऋण राशि की अदायगी की माँग करने के लिए अधिकृत होगा। आवश्यकता होने पर ऋण की अदायगी न हो पाने की दशा में या यहाँ उपरोक्त नियत तिथियों पर या क्रमशः प्रत्येक नियत तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर ब्याज की अदायगी न कर पाने की दशा में, निगम द्वारा पॉलिसी को, कोई सूचना दिए जाने की आवश्यकता के बगैर बंद कर दिया जाएगा और निगम ऋण व ब्याज के भुगतान में पॉलिसी के संबंध में अनुमतियोग्य अभ्यर्पण मूल्य लागू करने का अधिकारी होगा। यद्यपि पूर्णतः चुकता या प्रभावी पॉलिसियों के मामले में उन्हें बंद करने की कार्यवाही लागू नहीं होगी।

- iv) पॉलिसी के परिपक्व होने की स्थिति में या मृत्यु दावे की स्थिति में निगम ऋण राशि या उसके किसी भाग का, जो बकाया हो, पॉलिसी धन से ब्याज सहित काटने का अधिकारी होगा।

- 10. समनुदेशन और नामांकन:** बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है।

बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अनुसार जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन आवश्यक है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पॉलिसी में प्रस्ताव चरण में आवश्यक रूप से नामांकन किया जाए। यद्यपि किसी परवर्ती समनुदेशन या नामांकन परिवर्तन पर, समनुदेशन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम के कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा की जानी चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी की सेवा दी जाती है। समनुदेशन या नामांकन के पंजीकरण में निगम इसकी वैधता और विधिक प्रभाव से संबंधित न तो कोई उत्तरदायित्व लेता है, और न ही कोई अभिमत प्रकट करता है।

- 11. एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ राइडर:** इस पॉलिसी के उद्देश्य से एक दुर्घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : "एक दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित एवं अस्वैच्छिक रूप से होने वाली घटना है, जो बाढ़, हिंसक एवं दिखाई देने योग्य साधनों से हो।"

एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है।

एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ राइडर को प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ के पहले चुना जा

Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 80% of the premiums paid excluding any taxes, extra premium and rider premiums, if any, provided the policy is in force.

- ii) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the premiums paid till the date of death (excluding any taxes, extra premium and rider premiums, if any,) or the surrender value, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.

- 8. Surrender Value:** The policy can be surrendered for cash at any time provided atleast three full years' premiums have been paid.

The Guaranteed Surrender Value during the Policy Term shall be a percentage of total premiums paid (net of tax) excluding any extra premiums and premiums for riders, if opted for. This percentage will depend on the Policy Term and policy year in which the policy is surrendered and is enclosed as Annexure – I to this document.

In addition, the surrender value of vested simple reversionary bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Surrender Value factor applicable to vested bonuses. These factors will depend on the Policy Term and policy year in which the policy is surrendered and is enclosed as Annexure – II to this document.

However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favorable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of the Paid-up Sum Assured (as defined in Condition 4) and vested simple reversionary bonuses. These discounting factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDA.

No surrender value will be available on Riders, if any.

- 9. Loans:** Loan can be availed under this policy provided atleast three full years' premiums have been paid subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

- (i) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;

- (ii) Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;

- (iii) Corporation shall be entitled to call for repayment of the Loan with all due interest by giving 3 months' notice. In the event of failure to repay the Loan when required or to pay interest on the due dates as herein above mentioned or within 30 days after each due date respectively the policy shall be without the necessity of any notice being given, foreclosed by the Corporation and the Corporation shall be entitled to apply the surrender value allowable in respect of the policy in payment of the Loan and interest. However, in case of fully paid up or in force policies foreclosure action shall not be applicable;

- (iv) In case the policy shall mature or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.

- 10. Assignments and Nominations:** Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938.

Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938. It should be ensured that a nomination is made in the policy at the proposal stage necessarily. However, on a subsequent assignment or change of nomination, the notice of assignment or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering an assignment or nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

- 11. LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider:** An Accident for the purpose of this policy is defined as "An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means."

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider is available on payment of additional premium.

Under an in force policy the Accidental Death and Disability Benefit Rider can be opted for at any time within the premium paying term but

सकता है, जिस पर जीवन बीमित व्यक्ति के निकट जन्मदिन की आयु 70 वर्ष है, जहाँ भी पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को चुना गया है, वहाँ बीमा सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान या उस पॉलिसी वर्षगाँठ के पहले उपलब्ध होगी, जिस पर बीमित व्यक्ति के निकट जन्मदिन की आयु 70 वर्ष है, जो भी जल्दी हो, बशर्ते दुर्घटना की तिथि पर पॉलिसी पूर्ण बीमाकृत राशि के लिए चालू अवस्था में हो।

इस हितलाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान की आवश्यकता इस पॉलिसी के अंतर्गत समस्त प्रीमियमों का भुगतान हो जाने के बाद या उस पॉलिसी वर्षगाँठ पर और उसके बाद नहीं होगी, जिस पर जीवन बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन पर आयु 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो। यद्यपि उस मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम, जिसके साथ यह राइडर संलग्न है, का भुगतान 70 वर्ष की आयु के बाद भी तब तक जारी रहेगा, जब तक पॉलिसी अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी लागू हो।

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ उसी जीवन पर, जिस पर अग्रकृत लाभ लागू होते हैं, वैयक्तिक पॉलिसियों और साथ ही समूह पॉलिसियों के अंतर्गत ली गई सभी पॉलिसियों, जिनमें पहले से ही दुर्घटना हितलाभ वाली पॉलिसियाँ शामिल हैं, के अंतर्गत बीमा की अधिकतम समेकित सीमा किसी भी दशा में दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के रु. 50 लाख से अधिक नहीं होगी। अगर इसमें एक से अधिक पॉलिसियाँ हैं और अगर कुल दुर्घटना हितलाभ रु. 50 लाख से अधिक होता है, तो जारी पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम रु. 50 लाख दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के लिए हितलाभ लागू होंगे।

यदि किसी भी समय, जब यह पॉलिसी पूर्ण बीमाकृत राशि के लिए प्रभाव में है, बीमित व्यक्ति किसी दुर्घटना से संबद्ध होता है, जहाँ ऐसी दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित एवं अस्वैच्छिक रूप से हो, जो बाढ़, हिंसक एवं दिखाई देने योग्य साधनों से हो और ऐसी चोट अकेले, प्रत्यक्ष एवं अन्य समस्त कारणों से अलग होकर इसके होने के 180 दिनों के भीतर होगी, जिसके परिणामस्वरूप (क) स्थाई एवं संपूर्ण अपंगता हो, जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है या (ख) बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो और उसे निगम की संतुष्टि होने तक सिद्ध किया गया हो, तो निगम इन मामलों में सहमत होता है:

- (क) बीमित व्यक्ति की अपंगता :** (i) इस पॉलिसी के अंतर्गत 10 वर्षों में विस्तारित समान मासिक किस्तों में दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान। यदि 10 वर्षों की कथित अवधि के कालातीत होने से पहले पॉलिसी मृत्यु या परिपक्वता के द्वारा कोई दावा बनती है, तो अपंगता लाभ किस्तें जो बकाया नहीं हुई हों, का भुगतान दावे के साथ किया जाएगा और (ii) दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि की सीमा तक पॉलिसी के अंतर्गत आदेय भावी प्रीमियमों (मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम सहित) के भुगतान की माफ़ी। किसी अन्य राइडर के लिए, यदि उसे चुना गया है, प्रीमियम का भुगतान जारी रहेगा।

प्रीमियम के भुगतान की छूट से इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विकल्प और इस खंड के (ख) में शामिल हितलाभ समाप्त हो जाएँगे, सिवाय उन बीमों के, यदि कोई हों, जो बीमित व्यक्ति की सभी मौजूदा पॉलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि से अधिक हों और जो प्रीमियम के सतत भुगतान द्वारा चालू रखे गए हों।

यह आवश्यक है कि उपरोक्त अपंगता किसी दुर्घटना का परिणाम हो और पूर्ण व स्थाई हो। दुर्घटनावश चोटों जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र हो और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के भीतर होने के फलस्वरूप ऐसी अपंगता स्थिति हो जिसके कारण बीमित व्यक्ति यांत्रिकीय उपकरण, विशेष डिवाइसों या अन्य साधनों सहित किसी बाह्य सहायता/सहारे के बगैर दैनिक जीवन की निम्नांकित गतिविधियों में से कम से कम 4 (चार) गतिविधियाँ (नीचे परिभाषित) स्थाई रूप से करने में असमर्थ हो, तो ऐसी अपंगता को संपूर्ण एवं स्थाई के रूप में माना जाएगा। निगम द्वारा अधिकृत चिकित्सकीय परीक्षक द्वारा संपूर्ण एवं स्थाई के रूप में अपंगता को स्पष्ट करने के लिए बीमित व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा।

दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं:

- कपड़े पहनना – सभी आवश्यक कपड़े, कृत्रिम हाथ-पैर या अन्य शल्य-चिकित्सकीय उपकरण, जो चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हों, को धारण करने या उतारने की क्षमता।
- धोना – साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का एक पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए धोने की क्षमता।
- खाना – भोजन के तैयार व उपलब्ध हो जाने के बाद किसी प्लेट या कटोरे से मुँह तक भोजन स्थानांतरित करने की क्षमता।
- शौच – शौचालय का उपयोग करने या अन्यथा मल एवं मूत्र प्रकार्यों के प्रबंधन की क्षमता ताकि व्यक्तिगत स्वच्छता के एक संतोषप्रद स्तर को बनाए रखा जा सके।

- गतिशीलता – घर के भीतर निवास के सामान्य स्थान पर समतल सतह पर एक कमरे से दूसरे कमरे में आने-जाने की क्षमता।
- स्थानांतरण – किसी बिस्तर से उठकर किसी सीधी कुर्सी या व्हील चेयर पर बैठने या इसके विपरीत करने की क्षमता।

दुर्घटनावश चोटों जो अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र हो और ऐसी दुर्घटना के होने से 180 दिनों के भीतर हो, जिसके फलस्वरूप दोनों आँखों की संपूर्ण दृष्टि या बोलने की या सुनने की क्षति हो जाए या एक/दोनों हाथ/हाथों का अंगच्छेदन कलाई से या उससे ऊपर से हो जाए या एक/दोनों पैर/पैरों का अंगच्छेदन टखनों पर या उससे ऊपर हो जाए, या किन्हीं प्रमुख अंगों या उनकी प्रकार्यता की क्षति हो जाए, उसे भी ऐसी अपंगता होना माना जाएगा।

अपंगता के तत्काल बाद उसका पूरा व्यौरा और बीमित व्यक्ति का तत्कालीन पता और ठिकाना लिखित रूप में निगम के उस कार्यालय को दे दिया जाए जहाँ से इस पॉलिसी को सेवा उपलब्ध करवाई जाती है और अपंगता होने के 90 दिन के भीतर अपंगता का

before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 year. Wherever this rider has been opted for under the policy, the cover will be available during the policy term or before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier, provided the Policy is in force for the full Sum Assured as on date of accident.

The additional premium for this Rider will not be required to be paid after all premiums under this Policy have been paid or on and after the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier. However, the premium under the basic policy with which this rider is attached shall continue to be paid beyond age 70 years till the end of policy term, wherever applicable.

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.50 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs.50 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 50 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either permanent and total disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation agrees in case of:

- (a). Disability to the Life Assured:** (i) pay additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured in equal monthly instalments spread over 10 years under this Policy. If the policy becomes a claim by the way of death or maturity before the expiry of the said period of 10 years, the disability benefit instalments which have not fallen due will be paid along with the claim and (ii) waive the payment of future premiums chargeable, if any, under the policy (including the premium under basic plan) to the extent of Accident Benefit Sum Assured. The premium for any other Rider, if opted for, shall continue to be paid.

The waiver of premium shall extinguish all options under this policy and the benefits covered by (b) of this clause except as to such assurances, if any, as exceeds the total accident benefit sum assured under all the existing policies of the life assured and which may have been kept in force by continued payment of premiums.

The disability above referred to must be disability which is the result of an 'Accident' and must be total and permanent. Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident result in such disability due to which life assured is unable to perform at least 4 (four) of the following Activities of Daily Living (defined below) permanently without any external help/support including the use of mechanical equipment, special devices or other aids, then such disability shall be treated as Total and Permanent. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the life assured to certify the disability as Total and Permanent.

The Activities of Daily Living are:

- Dressing - the ability to put on and take off all necessary garments, artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
- Washing - the ability to wash to maintain an adequate level of cleanliness and personal hygiene
- Feeding - the ability to transfer food from a plate or bowl to the mouth once food has been prepared and made available
- Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory level of personal hygiene
- Mobility - the ability to move indoors from room to room on level surfaces at the normal place of residence
- Transferring - the ability to move from a bed to an upright chair or wheel chair and vice versa

Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from the happening of such accident, result in the irrecoverable loss of the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands at or above the wrists or in the amputation of both feet at or above ankles, or in the amputation of one hand at or above the wrist and one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability.

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation where this Policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life



संतोषजनक प्रमाण निगम के सेवा कार्यालय द्वारा अपेक्षित विधि से उसे दे दिया जाए, जिसका कोई व्यय निगम वहन नहीं करेगा और जब कभी निगम मॉग, अपंगता जारी रहने का ऐसा प्रमाण दिया जाए, किसी भी अपंगता दावे के संबंध में सूचना मिलने के बाद निगम द्वारा अधिकृत चिकित्सकीय परीक्षक द्वारा भीमित व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा और उसे प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा, यदि आवश्यकता हुई तो अलग-अलग मामलों के आधार पर अपंगता के जारी रहने के सत्यापन के लिए चिकित्सकीय परीक्षण किए जा सकते हैं।

किसी भी समय यह पाए जाने की दशा में, कि इस खंड के अंतर्गत कोई दावा गलती से स्वीकार कर लिया गया है, निगम की इस आशय की सूचना की तिथि के बाद देय होने वाली सभी तिथियों का भुगतान किया जाएगा और आगामी सभी प्रीमियम जिनके लिए फूट का दावा गलत तरीके से किया गया था और अतिरिक्त बीमाकृत राशि की सभी किस्तें जो भीमित व्यक्ति को भुगतान की गई हैं, निगम को ब्याज सहित एकमुश्त राशि के रूप में उस दर पर लौटाई जाएंगी, जो निगम द्वारा समय-समय पर तय की जाएँ, जैसे कि कोई अपंगता नहीं हुई है, ऐसा न करने पर

(i) इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभ उसी प्रकार से कम हो जाएँगे, जैसे पॉलिसी उस तिथि पर बंद हुई है, जब से प्रीमियमों को माफ किया गया है या जिस पर अतिरिक्त बीमाकृत राशि की पहली किस्त का भुगतान हुआ है, जो भी जल्दी हो, और

(ii) पहले ही भुगतान की जा चुकी अतिरिक्त बीमाकृत राशि की किस्तों को कथित पॉलिसी पर एक ऋण के रूप में लिया जाएगा और पॉलिसी की प्राप्ति से भुगतान से समय पर निगम द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित कांटा जाएगा।

अतिरिक्त बीमाकृत राशि की कोई आगामी किस्त/तें देय नहीं होंगी जिन्हें इस तरह समझा जाएगा कि कोई अपंगता नहीं हुई है।

**(ख) भीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में:** इस पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, दुर्घटना हितलाभ बीमाकृत राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि देय होगी। यद्यपि पॉलिसी को दुर्घटना के समय पर प्रभावशील होना चाहिए, चाहे वह मृत्यु के समय पर प्रभावशील हो या न हो।

निगम (क) या (ख) में संदर्भित अतिरिक्त राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि जीवन भीमित व्यक्ति की अपंगता या मृत्यु:

(i) जानबूझ कर अपने को चोट पहुँचाने, आत्महत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण अथवा किसी मादक द्रव पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तुओं (जब तक उपचार के एक भाग के रूप में चिकित्सक द्वारा इसे लिखा न गया हो) की सेवन करने से होगी अथवा,

(ii) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युध्द (भले ही युध्द की घोषणा की गई हो या न की गई हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, लंबी छलांग या किसी भी प्रकार की भागदौड़, पैरालाईडिंग या पैराशूटिंग, रोमांचक खेलों में भाग लेना के फलस्वरूप चोट लगने के कारण होगी अथवा,

(iii) भीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कोई आपराधिक कृत्य करने के परिणामस्वरूप हो; या

(iv) (अ) भीमित व्यक्ति के सशस्त्र सेना या सैन्य सेवा में नौकरी में होने के कारण हो. यह अपवर्जन तब लागू नहीं होगा, यदि भीमित व्यक्ति तब किसी दुर्घटना से संबद्ध था, जब वह ज़्यूटी पर नहीं था या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते समय किसी बचाव अभियान से संबद्ध था.

(ब) अर्द्धसैनिक बलों के अलावा किसी पुलिस संगठन में पुलिस ज़्यूटी में संबद्ध होने के फलस्वरूप हो (जिसमें प्रशासनिक कार्यभार शामिल नहीं हैं)। यह अपवर्जन वहाँ लागू नहीं है, जहाँ पुलिस ज़्यूटी में संबद्ध रहते हुए होने वाली दुर्घटना पर दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता लाभ के लिए विकल्प को चुना गया हो; या

(v) भीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की तिथि से 180 दिनों के बाद होगी.

**12. निगम के लाभ में प्रतिभागिता:** बशर्ते कि पॉलिसी पूर्ण रूप से प्रभावी हो, तो निगम के अनुभव के आधार पर यह पॉलिसी लाभ में भागीदारी करेगी और यह पॉलिसी उस दर पर एवं उन शर्तों पर एक सरल प्रत्यावर्तित बोनस के योग्य होगी, जो निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं।

सरल प्रत्यावर्तित बोनसों को प्रत्येक वित्तवर्ष के अंत में वार्षिक रूप से घोषित किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी पूर्ण रूप से प्रभावशील हो. एक बार घोषित कर दिए जाने के बाद, वे योजना के गारंटीड लाभों का हिस्सा बन जाते हैं. सरल प्रत्यावर्तित बोनस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि से चुनी गई पॉलिसी अवधि तक या मृत्यु तक, यदि यह पहले होती है, शामिल किए जाएँगे.

किसी चुकता पॉलिसी की दशा में निहित बोनसों का भुगतान केवल तभी किया जाएगा, जब कम से कम 3 पूर्ण पॉलिसी वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो. प्रीमियमों का भुगतान नियमानुसार न किए जाने की दशा में, लाभों में पॉलिसी की प्रतिभागिता स्थगित हो जाएगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य (कम की गई मूल बीमाकृत राशि) प्राप्त किया हो या न किया हो. पॉलिसी को अभ्यर्पित किए जाने की दशा में, निहित बोनसों का नकद मूल्य, यदि कोई है, जैसा भी अभ्यर्ण की तिथि पर लागू हो, उपरोक्त शर्त 8 में निर्दिष्ट किए अनुसार देय होगा.

योजना के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किए जा सकते हैं, जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी मृत्यु दावे में परिणित हो जाए या परिपक्वता लाभ भुगतान का भुगतान न होने के कारण कालातीत हो गई है,

Assured and within 90 days of the happening of the disability, must be given to the servicing Office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further, medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

In the event of it being discovered at any time that a claim under this clause has been wrongly admitted, all premiums falling due after the date of the Corporation's intimation to that effect shall be paid on due dates and further all premiums for which waiver was wrongly claimed and all instalments of additional sum assured which have been paid to the life assured shall be returned to the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as fixed by the Corporation from time to time, as if no disability had occurred, failing which

(i) the benefits available under the policy shall stand reduced as if the policy has been discontinued as on the date from which premiums have been waived or on the payment of the first instalment of the additional sum assured, whichever is earlier and

(ii) the instalments of additional sum assured already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of additional Accident Benefit Sum Assured shall be payable considering as if no disability had occurred.

**(b) Death of the Life Assured:** In addition to Basic Sum Assured, an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this policy. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional sum referred in (a) or (b) above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or

(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or

(iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or

(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country

(iv) (b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

(v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

**12. Participation in the Profits of the Corporation:** Provided the policy is in full force, depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in profits and will be eligible for a Simple Reversionary Bonus at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the end of each financial year provided the policy is in full force. Once declared, they form part of the guaranteed benefits of the plan. Simple Reversionary Bonuses will be added from the date of commencement of policy until the selected policy term or till death, if it occurs earlier.

In case of a paid up policy vested bonuses shall be payable only if at least 3 full years' premiums have been paid. In case the premiums are not duly paid, the policy shall cease to participate in profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid up value (reduced Basic Sum Assured)

In the event of policy being surrendered, the surrender value of vested bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable as specified in Condition 8 above.

Final (Additional) bonus may also be declared under the plan in the year when the policy results into death claim during the policy term or due for the maturity benefit payment, provided the policy has run for

तो उसे भीमित व्यक्ति के जीवनकाल में, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 2 क्रमागत वर्ष की अवधि के भीतर तथा परिपक्वता तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमायोग्यता का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान के समय प्रचलित दर से छमाही चक्रवृष्टि ब्याज के साथ भुगतान करके पुनः प्रवर्तित कराया जा सकता है. तथापि, निगम बन्द पॉलिसियों के प्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकार या संशोधित दरों पर स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है. बन्द पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप से प्रस्ताव/भीमित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा.

राइडर(रॉ) का पुनः प्रवर्तन, यदि इसका चयन किया गया है, तो उसका मूल पॉलिसी के पुनः प्रवर्तन के साथ ही विचार किया जायेगा, अलग से नहीं.

**4. जल्दी से सुरक्षा संबंधी नियम:** अगर इस पॉलिसी के संबंध में तीन वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी आगामी प्रीमियम का नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत समस्त लाभ प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से रियायत अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा.

हालांकि, यदि इस पॉलिसी के संबंध में कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने और किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार न करने के बाद, यह पॉलिसी पूर्णतः अवैध नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी के रूप में रहेगी. मूल बीमाकृत राशि ऐसी राशि में से कम हो जाएगी, जिसे चुकता बीमाकृत राशि कहा जाता है और इसका मूल बीमाकृत राशि से वही अनुपात होगा जो वास्तविक रूप से प्रदत्त प्रीमियमों की संख्या का पॉलिसी में मूलतः व्यक्त प्रीमियमों की कुल संख्या से होगा.

इस प्रकार घटी हुई बीमाकृत राशि की पॉलिसी उसके बाद इसमें उल्लेखित प्रीमियम के भुगतान के दायित्व से मुक्त होगी, लेकिन वह भावी लाभों में प्रतिभागिता की अधिकारी नहीं होगी. यद्यपि, वर्तमान निहित बोनस, यदि कोई हो, कम हुई चुकता पॉलिसी से संलग्न रहेगा. पॉलिसी के चुकता होने पर अनुपूची में उल्लेखित विशेष प्रावधान लागू होने से स्थगित होंगे. यह चुकता बीमाकृत राशि, निहित बोनसों के साथ, यदि कोई हो, या तो पॉलिसी अवधि के पहले मृत्यु होने पर या परिपक्वता लाभ के भुगतान पर देय होगा. पॉलिसी अवधि के बाद भीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर केवल चुकता बीमाकृत राशि देय होगी.

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम तीन पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 6 माह के भीतर भीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के 125% का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम, मृत्यु दिनांक तक ब्याज सहित – उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुनःप्रवर्तन हेतु किया जाता, और (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू रही हो.

उपरोक्त कथन के बावजूद, यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किए जाने के बाद, किसी अनुवर्ती प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की नियत तिथि से 12 माह के भीतर भीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित काटकर मूल बीमाकृत राशि के 125% का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्तित बोनसों एवं अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (क) मूल बीमा पॉलिसी के तहत अदत्त प्रीमियम, मृत्यु दिनांक तक ब्याज सहित – उन्हीं शर्तों पर जैसे कि उस समय पॉलिसी में पुनःप्रवर्तन हेतु किया जाता, और (ख) मूल पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी वर्षगांठ के पूर्व अदत्त प्रीमियम का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू रही हो.

ये प्रावधान वैकल्पिक राइडरों के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रदत्त मूल्य नहीं होता है और राइडर लाभ स्थगित हो जाते हैं, यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में है.

**5. कर:** कर सेवाकर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होगा और कर की दर प्रचलित दर पर लागू होगी.

प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि पॉलिसी धारक द्वारा प्रीमियमों पर देय होगी, जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम शामिल हैं, यदि कोई हो. प्रदत्त कर की राशि पर योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा.

**6. विशेष परिस्थियों में जल्दी:** यदि इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्त्विक जानकारी छिपाई गई है तो ऐसे प्रत्येक मामले में किन्तु बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की लागू हो सकने वाली व्यवस्थाओं के अधीन यह पॉलिसी अवैध होगी और इसमें सम्बन्धित किसी भी हितलाभ के लिए समस्त दावे तुरंत अभ्यर्ण मूल्य के भुगतान द्वारा बंद/समाप्त हो जाएँगे.

**7. आत्महत्या:** यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी

i) यदि भीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के

non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the lifetime of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the end of the policy term, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by corporation from time to time. The Corporation, however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Life Assured.

Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the revival of the Basic policy and not in isolation.

**4. Non-forfeiture Regulations:** If less than three years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable.

However, if after at least three full years' premium have been paid in respect of this policy and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy. The Basic Sum Assured shall be reduced to such a sum, called Paid-up Sum Assured and shall bear the same ratio to the Basic Sum Assured as the number of premiums actually paid shall bear to the total number of premiums originally stipulated for in the policy.

The policy so reduced shall thereafter be free from all liabilities for payment of the within mentioned premiums, but shall not be entitled to participate in future profits. However, the existing vested bonuses, if any, will remain attached to the reduced paid-up policy. On the policy becoming paid-up the special provisions mentioned in the schedule will cease to apply. This Paid-Up Sum Assured along with vested bonuses, if any, shall be payable either on death before Policy Term or on payment of maturity benefit on expiry of the policy term. On death of the Life Assured after Policy Term only Paid-up Sum Assured shall be payable.

Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, 125% of the Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.

Notwithstanding what is stated above, if at least five full years' premiums have been paid in respect of this policy, any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the due date of first unpaid premium, 125% of the Basic Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.

These provisions do not apply to optional riders as they do not acquire any paid up value and the rider benefits cease to apply, if policy is in lapsed condition.

**5. Tax:** Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums and rider premiums, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

**6. Forfeiture in Certain Events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease immediately by paying the surrender value.

**7. Suicide:** This policy shall be void

i) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk and

अनुलग्नक / ANNEXURE - I

कुल प्रदत्त प्रीमियम के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक  
Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums paid

पॉलिसी अवधि / Policy Term →	(प्रतिशत में / in percentage)																				
अवधि / Year	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8	54.29	53.75	53.33	53.00	52.73	52.50	52.31	52.14	52.00	51.88	51.76	51.67	51.58	51.50	51.43	51.36	51.30	51.25	51.20	51.15	51.11
9	58.57	57.50	56.67	56.00	55.45	55.00	54.62	54.29	54.00	53.75	53.53	53.33	53.16	53.00	52.86	52.73	52.61	52.50	52.40	52.31	52.22
10	62.86	61.25	60.00	59.00	58.18	57.50	56.92	56.43	56.00	55.63	55.29	55.00	54.74	54.50	54.29	54.09	53.91	53.75	53.60	53.46	53.33
11	67.14	65.00	63.33	62.00	60.91	60.00	59.23	58.57	58.00	57.50	57.06	56.67	56.32	56.00	55.71	55.45	55.22	55.00	54.80	54.62	54.44
12	71.43	68.75	66.67	65.00	63.64	62.50	61.54	60.71	60.00	59.38	58.82	58.33	57.89	57.50	57.14	56.82	56.52	56.25	56.00	55.77	55.56
13	75.71	72.50	70.00	68.00	66.36	65.00	63.85	62.86	62.00	61.25	60.59	60.00	59.47	59.00	58.57	58.18	57.83	57.50	57.20	56.92	56.67
14	80.00	76.25	73.33	71.00	69.09	67.50	66.15	65.00	64.00	63.13	62.35	61.67	61.05	60.50	60.00	59.55	59.13	58.75	58.40	58.08	57.78
15	80.00	80.00	76.67	74.00	71.82	70.00	68.46	67.14	66.00	65.00	64.12	63.33	62.63	62.00	61.43	60.91	60.43	60.00	59.60	59.23	58.89
16		80.00	80.00	77.00	74.55	72.50	70.77	69.29	68.00	66.88	65.88	65.00	64.21	63.50	62.86	62.27	61.74	61.25	60.80	60.38	60.00
17			80.00	80.00	77.27	75.00	73.08	71.43	70.00	68.75	67.65	66.67	65.79	65.00	64.29	63.64	63.04	62.50	62.00	61.54	61.11
18				80.00	80.00	77.50	75.38	73.57	72.00	70.63	69.41	68.33	67.37	66.50	65.71	65.00	64.35	63.75	63.20	62.69	62.22
19					80.00	80.00	77.69	75.71	74.00	72.50	71.18	70.00	68.95	68.00	67.14	66.36	65.65	65.00	64.40	63.85	63.33
20						80.00	80.00	77.86	76.00	74.38	72.94	71.67	70.53	69.50	68.57	67.73	66.96	66.25	65.60	65.00	64.44
21							80.00	80.00	78.00	76.25	74.71	73.33	72.11	71.00	69.99	68.26	67.50	66.80	66.15	65.56	
22								80.00	80.00	78.13	76.47	75.00	73.68	72.50	71.43	70.45	69.57	68.75	68.00	67.31	66.67
23									80.00	80.00	78.24	76.67	75.26	74.00	72.86	71.82	70.87	70.00	69.20	68.46	67.78
24										80.00	78.33	76.84	75.50	74.29	73.18	72.17	71.25	70.40	69.62	68.89	
25											80.00	80.00	78.42	77.00	75.71	74.55	73.48	72.50	71.60	70.77	70.00
26												80.00	80.00	78.50	77.14	75.91	74.78	73.75	72.80	71.92	71.11
27													80.00	80.00	78.57	77.27	76.09	75.00	74.00	73.08	72.22
28														80.00	80.00	78.64	77.39	76.25	75.20	74.23	73.33
29															80.00	80.00	78.70	77.50	76.40	75.38	74.44
30																80.00	80.00	78.75	77.60	76.54	75.56
31																	80.00	80.00	78.80	77.69	76.67
32																		80.00	80.00	78.85	77.78
33																			80.00	80.00	78.89
34																				80.00	80.00
35																					80.00

अनुलग्नक / ANNEXURE - II

निहित बोनस के लिए लागू अभ्यर्पण मूल्य कारक  
Surrender value factors applicable to vested bonuses

पॉलिसी अवधि / Policy Term →	(प्रतिशत में / in percentage)																				
अवधि / Year	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06	10.61	6.01	6.01	3.06	2.00
4	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06	10.61	6.01	6.01	3.06
5	18.16	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06	10.61	6.01	6.01
6	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06	10.61	6.01
7	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06	10.61	6.01
8	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20	12.06
9	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13	13.20
10	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13
11	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.94	14.13
12	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13	14.13
13	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.28	15.13
14	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.42	15.13
15	35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.55	15.13
16		35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.72	15.13
17			35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.93	15.13
18				35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22	15.13
19					35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58	16.22
20						35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03	16.58
21							35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58	17.03
22								35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66	17.58
23									35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85	17.66
24										35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16	17.85
25											35.00	30.00	27.06	25.05	23.38	21.99	20.85	19.93	19.18	18.60	18.16
26		</																			